भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या - 1112**
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2016 को दिया गया)

**महिला निदेशक**

**1112. श्री बी. सेनगुट्टुवन :**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचीबद्ध और असूचीबद्ध कंपनियों, जो कानून की आवश्यकतानुसार महिला निदेशक नामनिर्दिष्ट करने में विफल रही हो, द्वारा कारित अपराध के लिए अभियोजन शुरू किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इन कंपनियों ने तब से निदेशक मंडल में महिला नामनिर्देशन के कानूनी आदेश का पालन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या कोई नया अभियोजन तब से प्रारंभ किया गया है जब से महिला निदेशक का नाम-निर्देशन न करना एक सतत अपराध है और शास्ति विरोपित है?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्री** **(श्री अरूण जेटली)**

**(क) से (ग):** ऐसी 307 कंपनियां हैं जिन्होंने निदेशक बोर्ड में महिलाओं को नामित करने की कानून की अनिवार्यता की अनुपालना की है। 169 कंपनियों के विरूद्ध महिला निदेशक नामित न करने के कारण अभियोजन दायर किया गया है। 16 कंपनियों ने महिला निदेशकों की गैर नियुक्ति संबंधी अपराध के लिए दायर अभियोजन के लिए कंपाउंडिन आवेदन दायर किया है।

*****